



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21022026-270387
CG-DL-W-21022026-270387

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, फरवरी 15—फरवरी 21, 2026, शनिवार/माघ 26—फाल्गुन 2, 1947
No. 2] NEW DELHI, FEBRUARY 15—FEBRUARY 21, 2026, SATURDAY/MAGHA 26—PHALGUNA 2, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.नि.आ. 4.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, दिल्ली छावनी-110010, रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/पता, जिसे राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है
1.	रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), सी.वी. रामन नगर, बेंगलूरु - 560093
2.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, 107, लोअर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट, बेंगलूरु - 560007

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.1)]

मनीष त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2026

S.R.O. 4.— In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Controller General of Defence Accounts, Delhi Cantt under Ministry of Defence, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Controller of Defence Accounts (R&D), C.V. Raman Nagar, Bengaluru-560093
2.	Principal Controller of Defence Accounts, 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bengaluru-560007

[F. No. 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.नि.आ. 5.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना (समूह "ग") अराजपत्रित, अनुसूचित, अनौद्योगिक पद, ड्राइंग कार्यालय और राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (ड्राइंग कर्मचारी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-II (सिविल), नक्शानवीस श्रेणी-II (विद्युत), नक्शानवीस श्रेणी-II (यांत्रिक), नक्शानवीस श्रेणी-II (निर्माण), नक्शानवीस श्रेणी-II (कार्टोग्राफिक) और रक्षा मंत्रालय (नौ सेना) एकीकृत मुख्यालय, समूह 'ख' नक्शानवीस भर्ती नियम, 2008 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-I (सिविल), नक्शानवीस श्रेणी-I (यांत्रिक), नक्शानवीस श्रेणी-I (विद्युत), नक्शानवीस श्रेणी-I (निर्माण) एवं नक्शानवीस श्रेणी-I (मानचित्र) उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना में, वरिष्ठ नक्शानवीस (सिविल, यांत्रिक, विद्युत, निर्माण और कार्टोग्राफिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, वरिष्ठ नक्शानवीस (सिविल, यांत्रिक, विद्युत, निर्माण और कार्टोग्राफिक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ नक्शानवीस (सिविल)।	13* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 – 112400 रु०) ।	चयन ।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।	नहीं।	प्रोन्नति एवं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	(i) 90% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 10% प्रोन्नति द्वारा,

(ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविधालयों या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संगठन में सिविल इंजीनियरिंग में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित साफ्टवेयर में छः महीने का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		टिप्पण - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) द्वारा।
---	--	---	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु 25500-81100) में ऐसे नक्शानवीस (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन और के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी -

(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों;

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों वाली शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।

टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य ;

3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- अध्यक्ष ;

2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य ;

3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ नक्शानवीस (यांत्रिक)।	414* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 – 112400 रु०)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संगठन में यांत्रिक इंजीनियरिंग में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित साफ्टवेयर में छ: महीने का अनुभव। टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के	नहीं।	प्रोन्नति एवं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 95% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 5% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु 25500-81100) में ऐसे नक्शानवीस (यांत्रिक) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन और के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी – (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों वाली शैक्षिक अर्हताएँ और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य । समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अनुभव हों। टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वरिष्ठ नक्शानवीस (विद्युत)।	339* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 – 112400 रु०)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविधालय या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संगठन में विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित साफ्टवेयर में छः महीने का अनुभव। टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन	नहीं।	प्रोन्नति एवं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 90% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु 25500-81100) में ऐसे नक्शानवीस (विद्युत) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन और के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी – (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों वाली शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों। टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी — सदस्य।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वरिष्ठ नक्शानवीस (निर्माण)।	262* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 – 112400 रु°)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या निर्माण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संगठन में यांत्रिक या	नहीं।	प्रोन्नति एवं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 90% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 10% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा

निर्माण इंजीनियरिंग में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित साफ्टवेयर में छः महीने का अनुभव । टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		टिप्पण - केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा । सहित) द्वारा ।
---	--	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु 25500-81100) में ऐसे नक्शानवीस (निर्माण) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन और के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी –	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ; 3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य । समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ; 2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - सदस्य ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों वाली शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों। टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी – सदस्य।	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वरिष्ठ नक्शानवीस (कर्टोग्राफिक)।	55* (2026)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 – 112400 रु०)।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।			टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
--	--	-------------	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट संगठन में यांत्रिक या निर्माण इंजीनियरिंग में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित सॉफ्टवेयर में छः महीने का अनुभव। टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकाअनुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकाअनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं।	प्रोन्नति एवं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 80% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 20% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु 25500-81100) में ऐसे नक्शानवीस (कर्टोग्राफिक) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन और के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी -

(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों;

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों वाली शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।

टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य ;

3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1 कैप्टन की रैंक का अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- अध्यक्ष ;

2 विभाग में से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य ;

3 विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का एक अधिकारी या समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी

- सदस्य।

ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. सीपी (एनजी)/2801/ समूह -ख/आरआर /56/र./नि]

एं. पी. हरीनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.R.O. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy [Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial Posts, Drawing Office and National Hydrographic Office (Drawing staff)] Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the posts of Draughtsman Grade-II (Civil), Draughtsman Grade-II (Electrical), Draughtsman Grade-II (Mechanical), Draughtsman Grade-II (Construction), Draughtsman Grade-II (Cartographic) and the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Group 'B' (Draughtsman) Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the posts of Draughtsman Grade-I (Civil), Draughtsman Grade-I (Mechanical), Draughtsman Grade-I (Electrical), Draughtsman Grade-I (Construction), Draughtsman Grade-I (Cartographic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Draughtsman (Civil, Mechanical, Electrical, Construction, Cartographic) in the Navy, Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Senior Draughtsman (Civil, Mechanical, Electrical, Construction, Cartographic), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Draughtsman (Civil).	13* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probations, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in the trade of Civil Engineering from the Central Government, State Governments or Union territory Administrations or statutory or autonomous organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Desirable: Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	Two years for promotees and direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) ninety per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by promotion failing which by deputation (including short- term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Draughtsman (Civil) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed departmental qualifying test and successfully completed induction training of two weeks. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research Institutes – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; or (iii) with ten years of regular service in the post in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Draughtsman (Mechanical).	414* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in the trade of Mechanical Engineering, from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or statutory or autonomous organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutes. Desirable:- Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	Two years for promotees and direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) ninety-five per cent. by direct recruitment; (ii) five per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: Draughtsman (Mechanical) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed departmental qualifying test and successfully completed induction training of two weeks. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research Institutes – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; or (iii) with ten years of regular service in the post in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Draughtsman (Electrical)	339* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Electrical or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in the trade of	No.	Two years for promotees and direct recruits.	(i) ninety per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

Electrical Engineering, from the Central Government, State Governments or Union territory Administrations or statutory or autonomous organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutes. Desirable: Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Promotion: Draughtsman (Electrical) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed departmental qualifying test and successfully completed induction training of two weeks. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research Institutes –	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member.	Consultation with Union Public Service is Commission not necessary.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; or (iii) with ten years of regular service in the post in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Senior Draughtsman (Construction)	262* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in the trade of civil or mechanical engineering, from the Central Government, State Governments or Union territory Administrations or	No.	Two years for promotees and direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two	(i) ninety per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

statutory or autonomous organization or public sector undertakings or universities or recognised research Institutes. Desirable: Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	
--	--	---	--

(11)	(12)	(13)
Promotion: Draughtsman (Construction) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed departmental qualifying test and successfully completed induction training of two weeks. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research Institutes – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(iii) with ten years of regular service in the post in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Senior Draughtsman (Cartographic)	55* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Civil or Mechanical engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in Draughtsmanship in map or chart drawing from Government institute/ organisation. Desirable: Six months experience on the software relating to Automated Computer Aided Design. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No.	Two years for promotees and direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) eighty per cent. by direct recruitment; (ii) twenty per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Promotion: Draughtsman (Cartographic) in the level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and who have passed departmental qualifying test and successfully completed induction training of two weeks. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research Institutes – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; or (iii) with ten years of regular service in the post in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1 Officer of the rank of Captain or Civilian Officer of equivalent rank - Chairperson; 2 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank from the Department - Member; 3 One Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank outside the Department - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. CP(NG)/2801/GP-B/RR/56/D(Apptts)]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.नि.आ. 6.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कैटीन स्टोर्स विभाग समूह 'ग' (गैर-औद्योगिक और औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1991 को, जहां तक वे आशुलिपिक चयन ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड-II) के पद से संबंधित हैं, और कैटीन स्टोर्स विभाग आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के कैटीन स्टोर्स विभाग में आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैटीन स्टोर्स विभाग, आशुलिपिक ग्रेड-I समूह-'ख' अराजपत्रित (अनौद्योगिक और औद्योगिक) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अहर्ताएं आदि.- उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पदनाम	पदोकी संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-I.	25* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर- 6 (₹35400-112400) वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नत व्यक्तियों के दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	i) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा; और ii) चालीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा: (₹25500-₹81100) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में आशुलिपिक ग्रेड-II [पूर्ववर्ती आशुलिपिक ग्रेड-III] जिन्होंने इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन एवं प्रबंधन स्थापना व्यवहार कौशल/व्यावसायिक कौशल पर तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपनी अर्हकयापात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्ति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हकयापात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हकयापात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी

				अर्हकयापात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारी;- (i) मूलसंवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूलसंवर्ग या विभाग में (25500-81100 रुपये) वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर-4 पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; टिप्पण 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसीप्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- 1. प्रशासन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त महाप्रबंधक - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक कैंटीन सेवाएं एवं सचिव कैंटीन सेवाएं - सदस्य; नियंत्रण बोर्ड, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय 3. उप वित्तीय सलाहकार (क्यू) या रक्षा विभाग के उपसचिव - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

4. उप महाप्रबंधक (कैंटीन स्टोर विभाग संवर्ग)	- सदस्य;	
विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-		
1. प्रशासन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त महाप्रबंधक	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिदेशक कैंटीन सेवाएं एवं सचिव कैंटीन सेवाएं	- सदस्य;	
नियंत्रण बोर्ड, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय		
3. उप वित्तीय सलाहकार (क्यू) या रक्षा विभाग के उपसचिव	- सदस्य;	
4. उप महाप्रबंधक (कैंटीन स्टोर विभाग संवर्ग)	- सदस्य;	

[फा. सं. 01/08/2022/D(CSD)/D(Appts)]

एम पी हरिनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.R.O. 6.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Canteen Stores Department Group 'C' (non-industrial and industrial) posts Recruitment Rules, 1991, in so far as they relate to the post of Stenographer Selection Grade (Stenographer Grade-II) and the Canteen Stores Department Stenographer Grade-I posts Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Canteen Stores Department, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Canteen Stores Department, Stenographer Grade – I (Group 'B' non-gazetted Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Numbers of post, classification and level in pay matrix .- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and the other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-I.	25* (2026) * Subject to variation	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Ministerial.	Level – 6 (Rs 35400-112400).	Selection.	Not applicable.

	dependent on workload.		in the pay matrix		
--	------------------------	--	-------------------	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) Sixty per cent by promotion, failing which by deputation; and (ii) Forty per cent by deputation.	By promotion: Stenographer Grade-II [erstwhile Stenographer Grade-III] in level – 4 (Rs 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed three weeks training on administration and management establishment behavioral skills or professional skills. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government ,- (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be

				eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1 Joint General Manager and Vice Chairman, Board of Administration - Chairperson; 2 Deputy Director General Canteen Services and Secretary Board of Control, Canteen Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence - Member; 3 Deputy Financial Advisor (Q) or Deputy Secretary of Department of Defence - Member; 4 Deputy General Manager(Canteen Stores Department Cadre) - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1 Joint General Manager and Vice Chairman, Board of Administration - Chairperson; 2 Deputy Director General Canteen Services and Secretary Board of Control, Canteen Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence - Member; 3 Deputy Financial Advisor (Q) or Deputy Secretary of Department of Defence - Member; 4 Deputy General Manager(Canteen Stores Department Cadre) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 01/08/2022/D(CSD)/D(Appts)]

M P HARINARAYANAN, Under Secy.